राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.221/2025

1. श्री जगदीश बोहरा प्राइवेट आईटीआई, गंगा विहार कॉलोनी, जिला दौसा, राज, बोहरा त्रिवेणी उत्कर्ष शिक्षा संस्थान, दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भौरी लाल शर्मा आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी गोविंद नगर, पिंकी होटल के पीछे, दौसा।
2. जगदीश प्रसाद बोहरा आईटीसी, 51-52, रीको नगर, जिला दौसा, राष्ट्रीय बाल शिक्षण केंद्र संस्थान, दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये सीता देवी शर्मा पत्नी सुभाष चंद्र शर्मा आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी गंगा विहार कॉलोनी, सोमनाथ नगर, दौसा किया जाता है।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. भार्गव प्राइवेट आईटीआई, जे10 एचएमएच, नंदराम ढाणी के पास, टिब्बी रोड, विस्तार, जिला हनुमानगढ़, अनुराम शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़ द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव नीरज पुत्र लक्ष्मी नारायण आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी हनुमानगढ़ टाउन।

----प्रत्यर्थीगण

<u>से सम्बद्ध</u>

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.542/2025

बालाजी प्राइवेट आईटीआई, मोजमाबाद रोड, दूदू, जिला, जयपुर, राजस्थान, बालाजी शिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये प्रिंसिपल सुनील आचार्य पुत्र

दाऊ लाल आचार्य आयु लगभग 42 वर्ष निवासी मोजमाबाद रोड, दूदू तहसील दूदू, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. सरदार पटेल प्राईवेट आईटीआई, वीपीओ गुलाबबाड़ी वीपीओ सामोद, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, सर सरदार पटेल शिक्षा समिति, जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव विजय सिंह गोठला पुत्र भागिल प्रसाद जाट आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी गुलाबबाड़ी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. श्री नारायण प्राईवेट आईटीआई, बगवाड़ा वाया मोरीजा तहसील आमेर, जिला जयपुर, श्री नारायण शिक्षा संस्थान बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष दीपक शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.1254/2024

लाल बहादुर शास्त्री प्राइवेट आईटीआई, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राज, लालबहादुर शास्त्री शिक्षा समिति, खेड़ा, जमालपुर, तहसील हिंडौन (करौली) द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रधान लक्ष्मीकांत जांगिड़ पुत्र कल्याण प्रसाद, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ढेडा द - हिंडौन सिटी, जिला करौली।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.51/2025

राहुल चंडीजा मेमोरियल प्राईवेट आईटीआई, तहसील जमवारामगढ़, ग्राम भानपुर कालना, जिला जयपुर, राजस्थान, राहुल चंडीजा मेमोरियल शिक्षण एवं मानव कल्याण संस्थान जिला द्वारा संचालित और प्रबंधित। जरिये सचिव भंवरलाल गुर्जर पुत्र श्री कल्यब सहाय, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी घाटा जलधारी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.153/2025

1. महाराजा अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई, औद्योगिक क्षेत्र, रावला, तह- घरसाना, जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री हरबंशलाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन।
2. महाराजा अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई, जी1-117, रीको, सूरतगढ़, जिला। श्रीगंगानगर, महाराजा अग्रसेन कल्याण ट्रस्ट, सूरतगढ़ द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री गौरव बंसल पुत्र रविंदर कुमार आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी पुराना बाजार, गीता भवन के पास, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. माँ पीताम्बरा आईटीसी, जयपुरा, बांदीकुई, जिलादौसा, राजस्थान, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जन विकास सेवा समिति कोटराधार जिला, सवाईमाधोपुर, राजस्थान द्वारा संचालित एवं संचालित जरिये योगेन्द्र कुमार मीणा आयु 40 वर्ष पुत्र रायजीवन मीणा निवासी डिगारिया कपूर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.155/2025

मरुधर प्राइवेट आईटीआई, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़, जिला चूरू, सर्वोदय शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, जिला सीकर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव महेश कुमार पुत्र जवाहर मल, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ढाणी बजारन, पोस्ट सिहोट बारी, जिला सीकर, राज।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

3. मंगलम प्राइवेट आईटीआई, किसान चौराहा, वी/पी थांवला, तहसील डेगाना, जिला नागौर, पीआर मावर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, थांवला, जिला नागौर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव भगवती प्रसाद मावर पुत्र पाबूराम मावर, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी थांवला, तहसील रियाबंदी, जिला नागौर।

4. अमन प्राइवेट आईटीआई, मजीद पचबटी के पास, जिला टोंक, ग्लोबल एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्थ वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित और प्रबंधित, 32, एमपी कॉलोनी, पुलिस लाइन चोराहा, जिला सवाईमाधोपुर, जरिये डॉ. विनोद गुप्ता पुत्र भेरूलाल गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी काफला बाजार, टोंक।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.158/2025

नवोदय प्राइवेट आईटीआई, ढाल परी, जयपुर रोड, जिला अलवर, ओम शिवम संस्थान ग्राम बागावास द्वारा संचालित एवं प्रबंधित शर्मा पुत्री श्री बृजभूषण शर्मा आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ए-178, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार, अलवर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक तकनीकी, जोधपुर।

3. शारदा प्राईवेट आईटीआई, श्याम मंदिर के पीछे, कोटपूतली, जिला जयपुर, शारदा आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास समिति, अनंतपुरा, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष गजराज सिंह पुत्र गजराज सिंह पुत्र श्री लेखराम आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम मोलावास, पोस्ट जालावास, तहसील मुंडावर, जिला खेरथल-तिजारा, वर्तमान में कोटपूतली।

4. नवोदय प्राइवेट आईटीआई, वीपीओ जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर, नवोदय शिक्षण संस्थान, ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र हनुमान सहाय उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी फेस-01, सिमावत सदन, लालगढ़, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.173/2025

एस.एम.आर.टी. प्राईवेट आईटीआई, खसरा नंबर 2261/1950/423.2398/ 1952/431, धन जी की ढाणी के पास, बस स्टॉप, तारानगर रोड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चूरू द्वारा संचालित, जरिये प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल हैदर पुत्र एसएम हैदर, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी नियर किड्स पैराडाइज स्कूल, वार्ड नंबर 06, चूरू।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.174/2025

1. विपुल प्राइवेट आईटीआई, चावंड का मांड सालपुरा वाया सीआरपीएफ, लालावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, ओम महर्षि विद्यापीठ शिक्षा समिति, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव नाहर सिंह गुर्जर पुत्र श्री हीरा लाल गुर्जर आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट लाका, तहसील बहरावनाडा।

2. सनराइज प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर, वीपीओ तुंगा, आरएम एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसायटी, जिला जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव राजा राम गुर्जर पुत्र श्री गोपाल लाल आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी तुंगी, पोस्ट और तहसील तुंगा।

3. उत्थान फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट आईटीआई, दौसा, ग्रीन सिटी के पास, सिंगवाड़ा रोड, लालसोट, बाईपास, दौसा, उत्थान शिक्षा सेवा समिति, दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव अनूप कुमार वैश्य पुत्र श्री रघुनंदन वैश्य, आयु लगभग

35 वर्ष, निवासी भव्य ग्लोरी स्किट के पास, शिव अधिकारी, बस्सी, जिला जयपुर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.176/2025

सांवरिया जी प्राईवेट आईटीआई, उदयपुर रोड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. मातेश्वरी प्राइवेट आईटीआई, बीबनवा रोड, जिला बूंदी, मानव एवं पर्यावरण विकास संस्थान, बूंदी द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये राजेंद्र प्रसाद पुत्र श्री घनश्याम लाल उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी मकान नंबर 3-बी-21, विल्कस नगर, बूंदी।
3. नैनवा प्राइवेट आईटीआई, पीएचईडी कार्यालय के पास बांसी रोड़ तहसील नैनवा जिला बूंदी।
4. शिव प्राइवेट आईटीआई, अमरपुरा शाहपुरा जिला जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.177/2025

1. सोहर प्राइवेट आईटीआई, खसरा नंबर 888, दीदयाल नगर, रीको, औद्योगिक बस्सी, जिला जयपुर, सोहर शिक्षण संस्थान, वी-32, नंदपुरी, हवा सड़क, जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री हर सहाय शर्मा, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी बी-32, नंदपुरी कॉलोनी, गली नंबर 08, हवा सड़क, जयपुर, राज।

2. श्री नाथ प्राइवेट आईटीआई, गांव पलोदरा, तहसील सारड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान, यंग यूथ चैरिटेबल कम्युनिटी ट्रस्ट, उदयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये दिनेश ग्रोवर पुत्र श्री हीरालाल ग्रोवर, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी ई-1, मानसी विला, गोल्ड लीफ एक्सटेंशन, कोटा बाबरी, भुवाजा बाईपास, उदयपुर।

3. अरिहंत प्रा. आईटीआई, उदयपुर, भटेवर रोड, वल्लभनगर, जिला उदयपुर, न्यू एरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उदयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये जितेश धाकड़ पुत्र चंदन सिंह धाकड़, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी सदर बाजार, वल्लभनगर, उदयपुर।

4. सिंघानिया प्राईवेट आईटीआई, उदयपुर, नाकोडा नगर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, प्रताप नगर एक्सटेंशन, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर, तमन्ना संस्थान, उदयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये श्री कृष्ण गोपाल आमेटा पुत्र विष्णु शंकर आमेटा, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी अंबामाता की घाटी, तितारडी, उदयपुर।

5. विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी प्राईवेट आईटीआई, तुलसी निकेतन, मेन रोड, हिरण मगरी, सेक्टर-4, जिला उदयपुर, विश्वेश्वर्या फाउंडेशन, उदयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रदीप नागदा पुत्र श्री दिनेश चंद्र नागदा आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी 10, शांति नगर, हिरण मगरी, एल-3, उदयपुर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.178/2025

जगतम्बा प्राइवेट आईटीआई, एनएच-15, एसएचक्यू (एस) बीएसएफ के सामने, दरबारी गांव के पास, जिला जैसलमेर, श्री मूलपुरी जी कंप्यूटर शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसलमेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव रामेश्वर बोरावत पुत्र श्री अजीता राम आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी 10, हाउसिंग बोर्ड, जैसलमेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. निदेशक प्रशिक्षण, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.180/2025

1. सिद्धि विनायक प्राइवेट आईटीआई, जे 65/1, 66/1, गोविंद नगर, जिला दौसा, श्री विनायक शिक्षा एवं विकास समिति, बंदकुल, दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी बांदीकुल, जिला दौसा राज।

2. श्री राम प्राइवेट आईटीआई, चित्रगुप्त कॉलोनी, जिला दौसा, श्री त्र्यम्बकेश्वर महादेव शिक्षा एवं विकास समिति, खान भाकरी, दौसा द्वारा संचालित एवं

प्रबंधित, जरिये सचिव श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी विश्वकर्मा सड़क आरर्श बस्ती, जिला दौसा. राज।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.183/2025

राजदीप प्राईवेट आईटीआई, धोली गुमटी के पास पंडितपुरा रोड, पोस्ट पंडितपुरा बांदीकुई दौसा प्रबंधन राजदीप शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये अध्यक्ष श्री केदार नाथ शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी बांदीकुई, जिला दौसा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

3. निर्मला डेविल आईटीसी, 142 रोहिणी प्रथम, रेनवाल फागी रोड के पास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर श्रीमती निर्मला देवी शिक्षा समिति, ग्राम सिरसी, जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये सचिव श्रीमती सुनीता सांखला पुत्री श्री प्रभुदयाल आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी 20/170, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।

4. श्री करणी प्राइवेट आईटीआई, संग्राम पुरा पुलिया के पास कुंडेली रोड़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद करणी मानव सेवा संस्थान, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये अध्यक्ष अनिल कुमार जीनगर पुत्र श्री किस्तूरचंद जीनगर, सदर बाजार देवगढ़, जिला राजसमंद।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.192/2025

राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, हरे कृष्ण नगर-द्वितीय, कुंडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, जय गुरुदेव शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये महेश कुमार गुर्जर पुत्र भँवरू लाल गुर्जर आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी जमवारामगढ़, घाटा जलधारी, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. माता संतोष देवी प्राइवेट आईटीआई, 117-118, खोसा कॉलोनी, चंडीगढ़, हॉस्पिटल रोड, बस स्टैंड के पास, जिला हनुमानगढ़, जाग्रति संस्थान हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये श्री विनोद कुमार पुत्र श्री लाधूराम आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी जोड़किया, जिला हनुमानगढ़।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.193/2025

सरदार पटेल प्राईवेट आईटीआई, वीपीओ गुलाबबाड़ी वीपीओ सामोद, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान सर सरदार पटेल शिक्षा समिति जिला जयपुर राजस्थान द्वारा

संचालित और प्रबंधित जरिये सचिव विजय सिंह गोठला पुत्र भागिल प्रसाद जाट आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी गुलाबबाड़ी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. श्री नारायण प्राईवेट आईटीआई, बगवाड़ा वाया मोरीजा तहसील आमेर जिला जयपुर, श्री नारायण शिक्षण संस्थान बगवाड़ा तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष दीपक शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. बालाजी प्राईवेट आईटीआई, मोजमाबाद रोड, दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान बालाजी शिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये प्रिंसिपल सुनील आचार्य पुत्र दाऊ लाल आचार्य आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी मोजमाबाद रोड, दूदू तहसील दूदू, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.196/2025

श्रीमती गंगा देवी आईटीसी, बसवा, तेह बसवा, जिला दौसा, गंगा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रैणी, जिला अलवर, द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये जूनियर क्लर्क नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री नानक चंद शर्मा आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. चन्द्र शेखर आज़ाद आईटीसी, मनिया, जिला धौलपुर, जयदेवी शिक्षा समिति, धौलपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरिबाबू बाघेला, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी श्री राम मंदिर के सामने, गदरपुरा रोड, धौलपुर।

4. शिव शक्ति प्राइवेट आईटीआई, एफ-84, एलआईसी रोड, रीको, औद्योगिक क्षेत्र, ओंडेला रोड, धौलपुर, शिव शक्ति तकनीकी एवं सामान्य शिक्षण संस्थान जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अधीक्षक जितेंद्र गर्ग पुत्र श्री श्यामलाल गुप्ता, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी बी-32, महेश नगर, टोंक फाटक, लाल कोठी, गांधी नगर, जयपुर।

5. संस्कार प्राइवेट आईटीआई, श्री श्याम मंदिर के पीछे, श्याम विहार, कोटपुतली, जिला जयपुर, श्री कृष्ण सेवा संस्थान, अलवर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष सेवाराम पुत्र हरचंद, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी 12-13 आजाद नगर, 60 फुट रोड, अलवर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.197/2025

संकल्प प्राइवेट आईटीआई, शांतिकुंज कॉलोनी, श्री नगर के पास, बंदेन रेलवे फाटक, एसपी कार्यालय के सामने, राजगढ़ श्रीमती असफाफी देवी शिक्षण संस्थान, अलवर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव अजय कुमार यादव पुत्र श्री झम्मल लाल यादव आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी शांति कुंज कॉलोनी, डी.एस.पी. कॉलोनी के सामने, राजगढ़, अलवर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

3. श्री राधे रानी प्राइवेट आईटीआई, बी-12, लक्ष्मण विहार, रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कुम्हारी, लाडपुरा, जिला कोटा, श्री रामशरण शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, कोटा, जरिये अध्यक्ष महेश सरमा पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण गोपाल शर्मा आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी 12/306, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा।

4. गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई, देवार, बड़ाई रोड, आदर्श विद्या मंदिर के पास, जिला झालावाड़, आदित्य एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, झालावाड़ द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये अध्यक्ष श्री हरगोविंद सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी नानोर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.198/2025

आरआरबी प्राइवेट आईटीआई, वेयर हाउस रोड, बंगला नगर, जिला बीकानेर, श्री रुधाराम भादू मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, बीकानेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष दिनेश भादू पुत्र श्री रामलाल भादू उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 11-ए, जवाहर नगर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. आशीष प्राइवेट आईटीआई, एच-1, 59-60, रीको औद्योगिक क्षेत्र, जिला दौसा, गीतांजलि शिक्षा समिति, मंडावरा रोड, हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित

और प्रबंधित, जरिये मंत्री कुम्हेर सिंह पुत्र रामप्रताप आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी अमृतपुरी, अनाज गोदाम के पास।

3. श्री जगन प्रसाद प्राइवेट आईटीआई, मोतीझील भरतपुर, जिला भरतपुर, श्री जगन प्रसाद एजुकेशनल सोसायटी, भरतपुर जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल श्री योगेश कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी नगला बघैया, तहसील शरह, जिला डीग।

4. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.199/2025

1. श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, रिलायंस टावर के पास, सांखल खेरली, जिला अलवर, राजस्थान, श्री कृष्णा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा संचालित और प्रबंधितजरिये वीणा यादव पत्नी श्री पुरूषोत्तम यादव आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी प्रकाश मार्ग, सोखर रोड, सोखर, जिला अलवर।

2. सुशील प्राइवेट आईटीआई, ग्राम अर्जुनपुरा, पोस्ट धौला, तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान, सुशील पब्लिक स्कूल समिति, अर्जुनपुरा, जमुवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष रिछपाल सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी निवासी ग्राम धौला तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. बालाजी प्राइवेट आईटीआई, बनस्टाल मोर रूपवास, नेवल जिला टोंक, राजस्थान, लक्षित शिक्षा समिति, जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित। जरिये प्रिंसिपल लेखराज गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी मसूदपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक, राजस्थान।

4. आकाश प्राइवेट आईटीआई, प्रिंस फार्म, बायपास ब्रिज के पास वार्ड नंबर 29, सामोद रोड, चोमू, जिला जयपुर राजस्थान, श्री जी.आई मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव मामराज जाट पुत्र श्री गोपाल लाल जाट आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 42, प्रिंस फार्म, सामोद रोड, चोमू, पोस्ट जेतपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान।

5. राजस्थली बांदीकुई प्राइवेट आईटीआई, वार्ड नंबर 1, आशापुरा, जोधपुरिया, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान, भारती विद्या मंदिर समिति, जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्री प्रवीण चंद्र पुत्र श्री प्रकाश चंद्र उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी सिकंदरा दौसा, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.200/2025

1. राष्ट्रीय प्राइवेट आईटीआई, बस स्टैंड मांगलियावास, पीसांगन, जिला अजमेर, आधुनिक शिक्षा विकास समिति, पीसांगन, जिला अजमेर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये विनीत नामा पुत्र श्री ओमप्रकाश नामा आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी राधेश्वर कॉलोनी, मदनगंज, किशनगंज, राज।

2. श्री गणपति प्राईवेट आईटीआई, न्यू टेलीफोन, एक्सचेंज, रामगढ़ रोड, मसूदा, जिला अजमेर, श्री श्याम कल्याण समिति, अजमेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये रविन्द्र सिंह चौहान पुत्र विजय सिंह चौहान आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी शिव शांति नगर, धोला भाटा, अजमेर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. महाराजा अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई, 309, खंडेलवाल वाटिका, आगरा रोड, कानोता, जयपुर जीवन कल्याण संस्थान हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित और प्रबंधित, विजेंद्र मित्तल पुत्र श्री बनवारी लाल मित्तल उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी राधा गोविंद अपार्टमेंट, बी-98, महेश नगर, 80 फीट के माध्यम से। लाल कोठी, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.201/2025

1. न्यू गिरीश प्राइवेट आईटीआई, सिविल लाइन के पास, एनएच-द्वितीय, जिला दौसा, दीपशिखा शिक्षण संस्थान, दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये मानसिंह मीणा पुत्र श्री मोतीलाल मीणा आयु लगभग 39 वर्ष निवासी गणेश नगर, दौसा।

2. गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई, ए-49-50, प्रजापति नगर, अंडर ब्रिज रोड, ग्राम नापासर, जिला बीकानेर, जरिये नंदू सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी 3-डी, 65, मुरलीधर कॉलोनी, एमडीवी नगर, बीकानेर।

3. श्री अग्रसेन आईटीसी, साथल मोड़ चोराहा, बाय पास जयपुर रोड, दौसा, श्री अग्रसेन विकास एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये श्री जयसिंह गुर्जर पुत्र श्री हीरालाल गुर्जर आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी भोजपुरा, तहसील सिर्रे, जिला दौसा।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.218/2025

महात्मा गांधी प्राइवेट आईटीआई, मनोज ऑटोमोबाइल, जैन आसिया, गंगापुर रोड, जिला लालसोट, दौसा, गीतांजलि शिक्षा समिति, मंडावरा रोड, हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रधान श्री अंकित शर्मा पुत्र विजय नारायण शर्मा आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट चांदसेन, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. कल्पना आईटीसी, रीको औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, जिला सवाई माधोपुर, सामाजिक पर्यावरण एवं ग्रामीण देखभाल विरासत समाज गोठड़ा, जिला सवाई माधोपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये निदेशक श्री मदन जायसवाल पुत्र श्री प्रभु लाल जायसवाल आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी एफ-2, ए-69, राधा विहार, जयपुर।
4. अरावली प्राइवेट आईटीआई, उपोला सोनावा सेक्टर-8, दक्ष अस्पताल के पीछे, जिला अलवर, सरजा देवी मेमोरियल शिक्षा समिति, गांधी नगर, अलवर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये प्रधान इरशाद खान पुत्र श्री समसुद्दीन खान आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट सलापुर, तहसील और जिला अलवर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.219/2025

श्री रतन सिंह प्राइवेट आईटीआई, अढैया रोड, कुम्हेर, जिला भरतपुर, श्री रतन सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुम्हेर, जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं संचालित, जरिये प्रधान श्री भूरासिंह पुत्र श्री पदम सिंह आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी लाखन, कुम्हेर, जिला डीग।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. शिव अनुराग प्राइवेट आईटीआई, बंशी पहाड़पुर रोड, रुदावल, जिला भरतपुर, विकेश मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति, अकोराशी जिला करौली द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल अरुण सिंह सोलंकी पुत्र श्री देवी सिंह आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी अकोराशी तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली।

4. श्री ओम ब्रज अरुण प्राइवेट आईटीआई, भरतपुर, ग्राम पोस्ट मुड़िया ललिता, तहवीर, राजस्थान, श्री ओम ब्रज अरुण सोसायटी मुड़िया ललिता, तहसील वियर, जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री छत्तर राम शर्मा आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी बाई तहसील वियर, जिला भरतपुर।

5. सुशीला देवी प्राइवेट आईटीआई, नगर रोड, बीएसएनएल बिल्डिंग के पास डीग, जिला भरतपुर, टी.सी.आई. तकनीकी संस्थान, डीग, जिला भरतपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद उपाध्याय पुत्र श्री तारा चंद शर्मा आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी जिला डीग।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.220/2025

रुघा राम भादू प्राइवेट आईटीआई, सूडसर कुएं के पास, गांव सूडसर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, श्रीरूधरम भादू मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, बीकानेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष दिनेश भादू पुत्र श्री रामलाल भादू आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी 11-ए, जवाहर नगर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. आकांक्षा प्राइवेट आईटीआई, एनएच-89, नागौर रोड, नौखा, जिला बीकानेर, आकांक्षा शिक्षण संस्थान, बीकानेर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये अध्यक्ष श्री हुकमा राम खटीक पुत्र हेमाराम आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी नोखा।
4. राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, स्वर्गीय श्री भगवान सहाय सैनी एवं स्वर्गीय श्रीमती नैनची देवी स्मृति भवन, खसरा नंबर 613, राजकरणपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, शिव गंगा मानव एवं सम्मान सुधारक शिक्षा समिति, मानसरोवर, जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मानसरोवर, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.222/2025

न्यू महात्मा गांधी प्राइवेट आईटीआई, दौसा जमात बाईपास रोड, नई अनाज मंडी के पीछे, लालसोट, राजस्थान श्री कल्याण दास जी चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंडौन सिटी, करौली द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रधान श्री जितेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चंद शर्मा आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी वीपीओ चांदसेन, तहसील लालसोट, दौसा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

3. श्री बालाजी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ए-170, कृष्णा कॉलोनी, खोरा रोड, मनोहरपुर, जिला जयपुर, श्री बालाजी शिक्षा समिति, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव जयराम जाट पुत्र श्री बद्री राम जाट, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम सुराणा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

4. मास्टर विद्याराम प्राइवेट आईटीआई, तसीमो, तहसील बायपाऊ, जिला धौलपुर, माँ भगवती शिक्षा समिति, धौलपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा पुत्री श्री अरविंद शर्मा आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर सेक्टर-4, जी.टी. रोड, धौलपुर।

5. यूनिक प्राइवेट आईटीआई, हनुमानगढ़, भारत सैनी पब्लिक स्कूल के पास, भारत सैनिक पब्लिक स्कूल संस्थान, भादरा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव संदीप कुमार पुत्र अमर सिंह आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 22, भारत सैनिक स्कूल, भादरा, हनुमानगढ़।

---प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.223/2025

बियानी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीपीओ चंपापुरा, कलवार रोड, कलवार, जयपुर, राजस्थान, जयपुर, ग्रामीण संस्थान एवं विकास न्यास जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्राधिकृत व्यक्ति श्री पप्पू चौधरी पुत्र श्री गोमा राम जाट आयु लगभग 26 वर्ष निवासी पिंडोलाई, पोस्ट माचवा, कलवार रोड, जयपुर ।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. बालाजी प्राइवेट आईटीआई, विकास कॉलोनी, समर्थपुरा, पिराली रोड, जिला सीकर, राजस्थान, ब्राइट बर्ड्स स्कूल समिति पिपरलीरोड जिला सीकर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बुरड़क पुत्र श्री रामदेव सिंह आयु लगभग 64 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 53 पिपराली मार्ग, समर्थपुरा विकास कॉलोनी, सीकर, राजस्थान
4. पीलीबंगा प्राइवेट आईटीआई, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट सयादवाला तह - अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब द्वारा संचालित और प्रबंधित।जरिये अध्यक्ष राकेश कुमार आहूजा पुत्र हर भगवान आहूजा आयु लगभग 47 वर्ष निवासी 19 गौशाला रोड, अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
5. विराट आईटीसी, बस स्टैंड के पास, काठुवास, तह बेहूर, जिला अलवर, राजस्थान, विराट आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास समिति गंडाला जिला अलवर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री नगेन सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह आयु लगभग 40 वर्ष निवासी गावपोरनला, तह निमराना अलवर, राजस्थान । वर्तमान में जिला. कोटपूतली बहरोड़।
6. टैगोर प्राइवेट आईटीआई, वीपीओ पनलावा, थलासेमनगढ़, लछमनगढ़ जिला सीकर राजस्थान, टैगोर पब्लिक स्कूल समिति पनलावा जिला सीकर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव रणजीत सिंह पुत्र धारसीराम निवासी पानवाला, लक्ष्मणगढ़, सीकर।
7. ज्ञानदीप प्राइवेट आईटीआई, ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान, ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा

संचालित एवं प्रबंधित, जरिये श्री नानूलाल शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.224/2025

श्री कृष्णा प्राईवेट आईटीआई, बडियाल रोड, ग्यारसी वालो का बास, बांदीकुई, (दौसा), श्री कृष्ण शिक्षा एवं विकास समिति, अंचेडी, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री दयाशंकर शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी बांदीकुई, जिला दौसा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. थार प्राइवेट आईटीआई, चक 16(ए), अनूपगढ़, थार शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव पाट राम पुत्र श्री सुरजा राम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी 16 ए, अनूपगढ़।
4. जैन प्राईवेट आईटीआई, सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर, श्री बालाजी वेलफेयर ट्रस्ट, जवाहर नगर, श्री गंगानगर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री अंकित जैन पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जैन आयु लगभग43 वर्ष, निवासी एस.ए.08, रिद्धि-सिद्धि प्रथम, श्रीगंगानगर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.226/2025

विजय प्राइवेट आईटीआई, वार्ड नंबर 12, महाराणा प्रताप कॉलोनी, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान विजय शिक्षण सेवा संस्थान, बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा

संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव सुमेश विजय पुत्र रमेश चंद विजय, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी बांदीकुई।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. मेवाड़ प्राइवेट आईटीआई, ग्राम व पोस्ट कटकर, निसीर रोड, हिंडौन सिटी, जिला करौली, स्वर्गीय श्रीमती इंद्रा गांधी शिक्षण संस्थान, रतनजिला, वि/पी कटकर, हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव श्री पुरोषोत्तम सिंह जाट पुत्र श्री समयसिंह जाट, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी खेड़ा जमालपुरा, तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान।
4. सोलेट प्राइवेट आईटीआई, ग्राम रामपुरा, डाबड़ी, एनएच-11, तेजिया जी मंदिर के पास, जिला जयपुर, समाज सुधारक शिक्षा समिति, स्वर्णपथ, मानसरोवर, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्रवण कुमार सोलेट पुत्र श्री लल्लूराम सोलेट, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी रामपुरा, डाबड़ी।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.228/2025

बाबा गंगादास विद्यापीठ प्राइवेट आईटीआई, वीपीओ चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, बाबा गंगादास विद्यापीठ समिति, चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव सरदार मल यादव पुत्र श्री मदन लाल यादव, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, (प्रशिक्षण) निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. स्वामी विवेकानन्द प्राइवेट आईटीआई, भोपावास, वीर हनुमान मार्ग, बाई पास के पास, चौमू, जिला जयपुर, सचिन शिक्षा समिति, रतन विहार कॉलोनी चौमू, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव सागर मल पुत्र श्री सुल्तान राम आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 22, मोती नगर, राधास्वामी बाग, पोस्ट जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. गुरुकुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीपीओ-चोमू पुरोहितान, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, गुरुकुल शिक्षण संस्थान जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये ममराज नेहर पुत्र श्री शीशपाल नेहरा आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा खाटूश्यामजी, जिला सीकर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.265/2025

ध्रुव आईटीसी, आजाद नगर, 60 फीट रोड, जिला अलवर, मां भगवती तकनीकी शिक्षण एवं शिक्षा समिति, डीग, जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव संजय कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मेथी, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी मेथी भवन, गोवर्धन गेट, डीग।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. मित्तल आईटीसी, बस स्टैंड के पास, तहसील महुआ, जिला दौसा, मित्तल शिक्षण संस्थान मंडावर, तहसील महवा, जिला दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये

सचिव अनिल कुमार मित्तल पुत्र श्री रामदयाल मित्तल आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी रामकृष्ण कॉलोनी, मंडावर, जिला दौसा।

4. श्री नाथ प्राइवेट आईटीआई, चंद्रपुरा, चेचट, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा, सरस्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, मदनपुरा, जिला कोटा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अधीक्षक रामेश्वर अहीर पुत्र श्री रामस्वरूप अहीर आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी 235, मंदिर के पास, ग्राम बुरानखेड़ी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.273/2025

भास्कर प्राइवेट आईटीआई, चित्रकुट नागा, खनं. 94/3, नागौर रोड, मेड़ता रोड, जिला नागौर, आदित्य जन जाग्रति सेवा संस्थान, मेड़ता रोड, जिला नागौर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव श्री किशोर कुमार शर्मा पुत्र श्री नंदलाल शर्मा आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी मेड़ता रोड, तहसील मेड़ता, जिला।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिय सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. पूसाराम प्राइवेट आईटीआई, नगर पालिका के सामने, पीएचईडी कार्यालय के पास, मारवाड़ मुंडवा, जिला नागौर, पार्वती शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सोसायटी जोधपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये सचिव श्री हरेंद्र पुत्र श्री रामनिवास आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी खजवाना, तहसील मूंडवा जिला नागौर।
4. केके मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई, दर्लजी की हौदी, कलाकर मोहल्ले के पीछे, जिला बाड़मेर, केसर शिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये

श्री हेतराम शर्मा पुत्र श्री राजाराम शर्मा उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 116, श्याम नगर, बंबाला पुलिया, टोल टैक्स, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.282/2025

श्री बालाजी प्राइवेट आईटीआई, अजमेर, भवानीखेड़ा, राजस्थान, वसुंधरा संस्थान, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति श्री योगेश सोनी पुत्र नोरतमल सोनी आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी 747, स्टेशन रोड, नसीराबाद, जिला अजमेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.369/2025

माँ शारदा प्राइवेट आईटीआई, झालावाड़ ग्राम गावड़ी, तहसील, झालरापाटन, जिला, झालावाड़, राजस्थान, शक्ति परीक्षण संस्थान जिला, जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये विजय प्रताप सिंह पुत्र हेमराज सिंह खिची आयु लगभग 38 वर्ष निवासी जे.एन.टी.टी. बी.एड. कॉलेज रोड काली टोंक हनुमान मंदिर के पास सकतपुरा, थर्मल कॉलोनी, कोटा, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

3. ताज मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई, ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट, शारुंड, तहसील, कोटपूतली, जिला, जयपुर, राजस्थान, श्री राम शिक्षा समिति जिला, जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री विजय सिंह यादव पुत्र श्री हरदुवारीलाल, आयु लगभग 45 वर्ष निवासी शेरपुर, बहरोड़, शेरपुर, अलवर, शेरपुर, राजस्थान।

4. भारद्वास आईटीसी, ग्राम पोस्ट बांसखोह तहसील बस्सी जिला, जयपुर, राजस्थान, भारद्वाज शिक्षा समिति जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये दिनेश पुत्र रामजी लाल आयु लगभग 28 वर्ष निवासी लालावाला।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.371/2025

मारवाड़ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जरिये सचिव बृजमोहन बैरवा पुत्र श्री चतर सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, पता मंडावर रोड, महुवा, जिला दौसा, (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।

2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डब्ल्यू-6, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

3. प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.372/2025

महाराजा अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई, 309, खंडेलवाल वाटिका आगरा रोड, कानोता, जयपुर, जीवन कल्याण संस्थान, हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये विजेंद्र मित्तल पुत्र श्री बनवारी लाल मित्तल आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी राधा गोविंद अपार्टमेंट, बी-98, महेश नगर, 80 फीट, लाल कोठी, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. नेशनल प्राइवेट आईटीआई, बस स्टैंड मांगलियावास, पीसांगन, जिला अजमेर, आधुनिक शिक्षा विकास समिति, पीसांगर, जिला अजमेर द्वारा संचालित एवं संचालित, जरिये विनीत नामा पुत्र श्री ओमप्रकाश नामा आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी राधेश्वर कॉलोनी, मदनगंज, किशनगंज, राज।
4. श्री गणपति प्राइवेट आईटीआई, न्यू टेलीफोन एक्सचेंज, रामगढ़ रोड, मसूदा, जिला अजमेर, श्री श्याम कल्याण समिति, अजमेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये रविन्द्र सिंह चौहान पुत्र विजय सिंह चौहान आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी शिव शांति नगर, धोला भाटा, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.373/2025

संजीवनी प्राइवेट आईटीआई, होटल उदय रेजीडेंसी के सामने, केशव पुरा, मेन रोड, बालाकुंड, जिला कोटा, संजीवनी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केशवपुरा मेन रोड, बालाकुंड, कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये नवल किशोर खंडेलवाल पुत्र श्री रूपचंद खंडेलवाल, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी एच09, आरोग्य नगर, कोटा, राज।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. एस. एम प्राईवेट आईटीआई, नाकोड़ा नगर, पचपहाड़, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, पी.एस. टेक कंप्यूटर एजुकेशन सोसायटी, बारां, जिला बारां, जरिये अध्यक्ष लोकेश गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी जनता सिनेमा, पुष्पकुंज, सुंदर जी बगेची, बारां, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.375/2025

1. माँ गायत्री प्राइवेट आईटीआई, बीकानेर-जयपुर के सामने, कोटा रोड, सांगोद, जिला कोटा, माँ गायत्री शिक्षण एवं सेवा समिति, सांगोद, कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव प्रेम शंकर पुत्र शिव प्रकाश आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम-कुराड, तहसील कनवास, जिला कोटा।
2. राजा प्राइवेट आईटीआई, 62, बालाजी आवास देवली अरब रोड, बरखेड़ा, लाडपुरा, राजा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, कोटा द्वारा संचालित एवं संचालित, जरिये गजेन्द्र कुमार मेहता पुत्र बिरधीलाल, आयु करीब 50 वर्ष, निवासी महावीर नगर, तृतीया कोटा
3. श्री विट्ठल प्राइवेट आईटीआई, हाउस नंबर 01(145), वल्लभ बाड़ी, जिला कोटा राजस्थान, श्री विट्ठल शिक्षण परीक्षा समिति, कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये श्रीमती राजेश योगी पत्नी श्री मनीष योगी आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी 4H10 महावीर नगर, तृतीया, कोटा।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, (प्रशिक्षण) निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.377/2025

नवोदय प्राइवेट आईटीआई, बूटा सिंह कॉलोनी, सांगोद रोड, कैथोन, जिला कोटा, नवोदय बाल विद्यालय समिति, जिला कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव राकेश पुत्र राधारमण शर्मा, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी 4-डी20, रंगबाड़ी योजना, कोटा राज।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. जैन प्राइवेट आईटीआई, प्लॉट नंबर 24, राम लाल कॉलोनी, एसएसबी रोड, चक, 3 ई, छोटी, पीओ- नाथवाला, जिला श्रीगंगानगर, जैन वेलफेयर ट्रस्ट श्रीगंगानगर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव राहुल जैन पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जैन उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी एसए8, रिद्धि सिद्धि, प्रथम एन्क्लेव, प्रथम, श्रीगंगानगर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.378/2025

मंथन प्राइवेट आईटीआई, गुर्जरों की ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, मंथन शिक्षा समिति, जिला जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव मोहर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामप्रताप गुर्जर, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी पीचूपाड़ा खुर्द, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा, राज.

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, (प्रशिक्षण) निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. रणजीत रॉयल प्राइवेट आईटीआई, ग्राम पोस्ट- पाड़ा, तहसील-रेंट, अलवर, के माध्यम से रणजीत रॉयल शिक्षा समिति, पाड़ा, रेनी, अलवर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरियेसचिव श्रीमती विनोद नरूका पत्नी श्रीभगवान सिंह नरूका, आयु करीब 42 वर्ष, निवासी पाड़ा तहसील रेनी, जिला अलवर।
4. श्री राम प्राइवेट आईटीआई, दादा भगवान (राष्ट्रीय उद्यान) के सामने, ग्राम तिंवरी, जिला जोधपुर, श्री रावतसिंहजी भोमियाजी शिक्षण एवं शोध संस्थान, तिंवरी द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष गोपालराम पुत्र श्री चेनाराम आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ओसियां, जिला जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.379/2025

सोलेट प्राइवेट आईटीआई, ग्राम रामपुरा, डाबड़ी, एनएच-11, तेजा जी मंदिर के पास, जिला जयपुर, समाज सुधारक शिक्षा समिति, स्वर्णपथ, मानसरोवर, जिला जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्रवण कुमार सोलेट पुत्र श्री लल्लूराम सोलेट, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी रामपुरा, डाबड़ी।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

3. मेवाड़ प्राइवेट आईटीआई, ग्राम व पोस्ट कटकर, निसीर रोड, हिंडौन सिटी, जिला करौली, स्वर्गीय श्रीमती इंद्रा गांधी शिक्षण संस्थान रतनजिला, वि/पी कटकर, हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव पुरूषोत्तम सिंह जाट पुत्र समयसिंह जाट आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी खेड़ा, जमालपुर, तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान।

4. विजय प्राइवेट आईटीआई, वार्ड नंबर 12, महाराणा प्रताप कॉलोनी, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान, विजय शिक्षण सेवा संस्थान, बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव सुमेश विजय पुत्र रमेश चंद विजय, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी बांदीकुई।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.381/2025

श्री विनायक प्राइवेट आईटीआई, प्लॉट नंबर 49, जोशी कॉलोनी, गणेशपुरा रोड, जिला दौसा, श्री विनायक शिक्षा जन सेवा संस्थान, दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी दौसा जिला दौसा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. रघुकुल प्राइवेट आईटीआई, सरकारी अस्पताल के पीछे, रलावता रोड रोड, जिला दौसा, रघुकुल शिक्षण संस्थान, दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्राधिकृत व्यक्ति रजनीश शर्मा पुत्र कजोड़मल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी विकास कॉलोनी, आनंद गर्ल्स स्कूल के पास, दौसा।

4. मास्टर किरोड़ी लाल प्राइवेट आईटीआई, वार्ड नं. 05, फुल्ली पाड़ा, हाट बाजार, नदबई, जिला भरतपुर, मास्टर किरोड़ीलाल समाज वेलफेयर सोसायटी, नदबई, जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री किरोड़ीमल आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी नदबई, भरतपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.383/2025

न्यू जतिन प्राइवेट आईटीआई., 253 एकलिंग पुरा, अरावली कॉलेज के पास, जिला उदयपुर, सौमिक सेवा समिति, नवनीत कॉम्प्लेक्स के सामने द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्री अक्षय कुमार माली पुत्र कन्हैया लाल माली, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी 303, ग्रैंड रत्नम रेजीडेंसी, हिरण मगरी सेक्टर 04, उदयपुर, राज।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.385/2025

मैग्नीफाइंग प्राइवेट आईटीआई, 184-राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने, देवली अरब मेन रोड, जिला कोटा, मैग्नीफाइंग जनकल्याण समिति, कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्राधिकृत व्यक्ति विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री हेमराज सिंह खीची, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी जे.एन.टी.टी. बी.एड., कॉलेज रोड, काली टेक हनुमान मंदिर के पास।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.386/2025

अरावली प्राइवेट आईटीआई, एसपी-1 रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीम का थाना, सीकर, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, नीम का थाना, सीकर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी सेफरागुवार, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. भारत प्राइवेट आईटीआई, नीम का थाना, सीकर, रुक्मणी देवी कौशल विकास समिति, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्राधिकृत व्यक्ति विशाल यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली।
4. शेखावाटी प्राइवेट आईटीआई, सर्किट हाउस के पीछे, जयपुर रोड, जिला सीकर, गुरुकुल शिक्षण संस्थान, सीकर, जिला सीकर, जरिये सचिव श्रीमती स्नेहलता चौधरी पुत्री श्री भंवरलाल उम्र करीब 43 साल, निवासी बी-5, तोडी नगर, सीकर।
5. एपेक्स प्राइवेट आईटीआई, सिरोही नाडी, औद्योगिक क्षेत्र वार्ड नंबर 04 नीम का थाना, सीकर, एपेक्स शोध एवं विकास संस्थान, नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा

संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल मनोज यादव पुत्र श्री चिरंजी लाल यादव, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी नीम का थाना।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.393/2025

सैपियंस प्राइवेट आईटीआई, बी-17, मधुबन कॉलोनी, टोंक शहर, जिला जयपुर, जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मयंक महावर पुत्र रामजीलाल कोली, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी तहला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. न्यू बेसिक प्राइवेट आईटीआई, राधे मोटर के पीछे, गलना बास, बज्जी, जिला बीकानेर, न्यू बेसिक एजुकेशनल सोसायटी लालगढ़, बीकानेर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्रीराम वर्मा पुत्र पन्नाराम वर्मा आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी 2 किलोवाट, खाजूवाला
4. रोहित प्राइवेट आईटीआई, पाडली, महवा, दौसा, राजस्थान, नांगलोट शिक्षा समिति, मंहवा, दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव लोकेश कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, अनबैंक गांव, दौसा।

----अपीलार्थी

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.394/2025

शारदा प्राइवेट आईटीआई, श्याम मंदिर के पीछे, कोटपूतली जिला जयपुर, शारदा आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास समिति, अनंतपुरा, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा संचालित एवं

प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष गजराज सिंह पुत्र श्री लेखराम आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम मोलावास, पोस्ट जालावास, तहसील मुंडावर, जिला खेरथल-तिजारा, वर्तमान में कोटपूतली।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशक तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
3. नवोदय प्राइवेट आईटीआई, ढाल पेरी, जयपुर रोड, जिला अलवर, ओम शिवम संस्थान ग्राम बागावास तह. विराटनगर, जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित।जरिये सचिव रीता शर्मा पुत्री श्री बृजभूषण शर्मा आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ए-178, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार, अलवर।
4. नवोदय प्राइवेट आईटीआई, वीपीओ जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर, नवोदय शिक्षण संस्थान, ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र हनुमान सहाय आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी फेस-01, सिमावत सदन, लालगढ़, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.396/2025

1. मानवी आईटीसी, विशाल सदन, नीक का थाना रोड, शाहपुरा, जिला जयपुर, स्वामी परमानद शिक्षा समिति, मनोहरपुर जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रधान जितेंद्र बालीवाल पुत्र श्री बंशीधर बालीवाल आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी रामपुरा, शाहपुरा, जयपुर।
2. विवेकानन्द प्राइवेट आईटीआई, कल्याणपुरा, प्रतापपुरा, पोस्ट मनोहरपुर, शाहपुरा, जयपुर, विवेकानन्द शिक्षा समिति, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं

प्रबंधित, जरिये प्रधान जीतेन्द्र बालीवाल पुत्र श्री बंशीधर बालीवाल आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी रामपुरा, शाहपुरा, जयपुर।

3. श्री श्याम प्राइवेट आईटीआई, शिव शक्ति होटल के पास, एनएच-8, गांव-मनोहरपुर, तहसील शाहपुर, जिला जयपुर, श्री श्याम शिक्षा समिति, जयपुर संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रधान सुरेंद्र सिंह चौधरी पुत्र श्री हनुवंत प्रसाद आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी खोरालाढ़ खानी, शाहपुरा, जयपुर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेषआवेदन रिट सं.397/2025

सर्वोदय प्राइवेट आईटीआई, तारा पन्ना भवन रानीसर वास, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर, भास्कर वेलफेयर एंड रिसर्च ट्रस्ट, सांगानेर, जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव सुनील कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, मिर्जेवाली, मेहर, 12 ए.जी., मिर्जेवाली, मेहर, जिला हनुमानगढ़।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. श्री विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई, बरोली मंदिर के पास, कोटा रोड, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, जय श्री विश्वकर्मा प्रशिक्षण एवं बाल विकास समिति,

रावतभाटा, तहसील भैंसरोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष/सचिव संजय हरिया पुत्र श्री बृज किशोर शर्मा आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी 91, प्रताप क्लिनिक के पास, खादी रोड, नयापुरा, कोटा।

4. विनायक प्राइवेट आईटीआई, ग्राम टिकारी, जाफरान, महवा, जिला दौसा, नांगलोट शिक्षा समिति, महवा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये कैलाश चंद सैनी आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, उनबंज गानव, दौसा।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.398/2025

जय महावीर प्राइवेट आईटीआई, विराट नगर, जयपुर, जय महावीर शिक्षण सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्री तारा चंद सैनी पुत्र श्री जग्गू राम सैनी, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी विराट नगर, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. न्यू सुबोध प्राइवेट आईटीआई, रायकरणपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, न्यू सुबोध शिक्षा समिति, रायकरणपुरा, जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये रतिराम यादव पुत्र इमरता राम यादव आयु लगभग 53 वर्ष निवासी बखराना।
4. न्यू गिरिराज प्राइवेट आईटीआई, दावती रोड मनिया, थाने के सामने, धौलपुर, महात्मा ज्योति राव फुले शिक्षण संस्थान, धौलपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री आनंद शर्मा पुत्र श्री महेश शर्मा, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी एवीएम स्कूल के पीछे, घंटाघर रोड, धौलपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.401/2025

सुशीला देवी प्राइवेट आईटीआई, नगर रोड, बीएसएनएल बिल्डिंग के पास डीग, जिला भरतपुर टी.सी.आई. टेक्निकी संस्थान, डीग जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद उपाध्याय पुत्र श्री तारा चंद शर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी जिला डीग।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. श्री रतन सिंह प्राइवेट आईटीआई, अधैया रोड, कुम्हेर, जिला भरतपुर, श्री रतन सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुम्हेर, जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं संचालित, जरिये प्रधान श्री भूरासिंह पुत्र श्री पदम सिंह आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी लाखन, कुम्हेर, जिला डीग।
4. शिव अनुराग प्राइवेट आईटीआई, बंशी पहाड़पुर, रोड, रुदावल, जिला भरतपुर, विकेश मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति, अकोराशी, जिला करौली द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल श्री अरुण सिंह सोलंकी पुत्र श्री देवी सिंह आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी अकोराशी तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली।
5. श्री ओम ब्रज अरुण प्राइवेट आईटीआई, भरतपुर, ग्राम-पोस्ट मुड़िया ललिता, तहवीर, राजस्थान, श्री ओम ब्रज अरुण सोसायटी मुड़िया ललिता, द वियर, जिला भरतपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री छत्तर राम शर्मा, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी बाई तहसील वियर, जिला भरतपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.415/2025

1. श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, रिलायंस टावर के पास, सांखल खेरली, जिला अलवर, राजस्थान, श्री कृष्णा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा संचालित और प्रबंधित श्रीमती वीणा यादव पत्नी श्री पुरूषोत्तम यादव आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी प्रकाश मार्ग, सोखर रोड, सोखर, जिला अलवर।
2. सुशील प्राइवेट आईटीआई, ग्राम अर्जुनपुरा, पोस्ट धौला, तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान, सुशील पब्लिक स्कूल समिति, अर्जुनपुरा जमुवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष रिछपाल सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी निवासी ग्राम धौला तहसील जमुवारामगढ़ जिला जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. बालाजी प्राइवेट आईटीआई, बनस्टाल मोर रूपवास, नेवल, जिला टोंक, राजस्थान, लक्षित शिक्षा समिति, जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल लेखराज गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर आयु लगभग 33 वर्ष निवासी मसूदपुरा, तह पिपलू जिला टोंक, राजस्थान।
4. आकाश प्राइवेट आईटीआई, प्रिंस फार्म, बाईपास ब्रिज के पास, वार्ड नंबर 29 सामोद रोड, चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान, श्री जी.आई. मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव ममराज जाट पुत्र श्री गोपाल लाल जाट आयु लगभग 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 42 प्रिंस फार्म, सामोद रोड, चोमू, पोस्ट जेतपुरा तहसील चोमू जिला जयपुर, राजस्थान।

5. राजस्थली बांदीकुई प्राइवेट आईटीआई, वार्ड नंबर1, आशापुरा, जोधपुरिया, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान, भारती विद्या मंदिर समिति, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष श्री प्रवीण चंद्रा पुत्र श्रीप्रकाश चंद्रा आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी सिकंदरा दौसा, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.422/2025

1. केशव प्राइवेट आईटीआई, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, लूना एम. मेमोरियल शिक्षण संस्थान, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, प्रिंसिपल शनक खान पुत्र श्री सबर खान शर्मा आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. केशव विद्या पीठ आई.टी.सी., गंगानगर रोड, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ , केशव विद्यापीठ समिति, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल लोकेश शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.444/2025

जैन प्राईवेट आईटीआई, सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर, श्री बालाजी वेलफेयर ट्रस्ट, जवाहर नगर, श्री गंगानगर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री अंकित जैन पुत्र

श्री राजेंद्र कुमार जैन आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी एस.ए.08, रिद्धि-सिद्धि प्रथम, श्रीगंगानगर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. थार प्राइवेट आईटीआई, चक 16 (ए), अनूपगढ़, थार शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव पाट राम पुत्र श्री सुरजा राम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी 16 ए, अनूपगढ़।
4. श्री कृष्णा प्राईवेट आईटीआई, बडियाल रोड, ग्यारसी वालो का बास, बांदीकुई, (दौसा), श्री कृष्ण शिक्षा एवं विकास समिति, अंचेडी, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री दयाशंकर शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी बांदीकुई, जिला दौसा।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.445/2025

श्री राम चंद्र प्राइवेट आईटीआई, एफ-69, चंबल औद्योगिक क्षेत्र, डीसीएम रोड, मल्टीमेटल लिमिटेड के सामने कोटा, श्री रामचन्द्र बाबा विद्या मंदिर समिति, छावनी, जिला कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव राजेंद्र कुमार पुत्र श्री गोपी लाल वर्मा आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी 10-एफ-3, महावीर नगर तृतीय, कोटा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

3. श्री चाभुजा प्राइवेट आईटीआई, आठवीं एवं पोस्ट, चेचट, तह. रामगंजमंडी, जिला कोटा, राजस्थान, दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर सोसायटी जिला कोटा, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव गिरिराज गोतम पुत्र उमाशंकर आयु लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम मोड़क तह-रामगंजमंडी, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.448/2025

ओम प्राइवेट आईटीआई, कोटा रोड इटावा गांव/पोस्ट इटावा तहसील, पिपल्दा जिला, कोटा, राजस्थान, दिव्य ज्योति विद्या मंदिर स्कूल समिति, कोटा, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री रामबिलास पुत्र श्री रामनाथ आयु लगभग 52 वर्ष निवासी हाट का मेदान त्यागी नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. सिग्मा प्राइवेट आईटीआई, मुंडेरी जिला झालावाड़, राजस्थान सिग्मा चिल्ड्रन स्कूल सोसाइटी कोटा, जिला, कोटा, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव गोवर्धनलाल शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल आयु लगभग 41 वर्ष निवासी मोलक्या खुर्द, जिला कोटा, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.450/2025

रिजनल आईटीसी, कठूमर रोड, खेरली, जिला अलवर, राजस्थान, ब्रजलता शिक्षा समिति, बरोली, जिला अलवर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री राजेंद्र

शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी नयाबास, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.451/2025

ब्रजलता प्राईवेट आईटीआई, कटूमर रोड, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला। अलवर, राजस्थान, ब्रजलता शिक्षा समिति बेरली, जिला अलवर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री राजेंद्र शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी नायब तहसील नदबई जिला भरतपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.452/2025

योगीराज प्राइवेट आईटीआई, देवली अरब लिंक रोड, नयानोहरा जिला कोटा, राजस्थान, ठाकुर जय सिंह सोसायटी ऑफ एजुकेशन सोसायटी कोटा, जिला कोटा, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव अजय सिंह गौड़ पुत्र श्री जय सिंह गौड़ आयु लगभग 57 वर्ष निवासी 364, शास्त्री नगर दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. विद्या सरोवर आईटीसी, सिकंदरा तिराहा बयाना जिला भरतपुर, राजस्थान, महाराज बालक दास विद्या सरोवर संस्थान, बयाना जिला भरतपुर राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये नरेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद आयु लगभग 61 वर्ष निवासी आदर्श नगर सेक्टर नंबर 2 बयाना जिला भरतपुर, राजस्थान।
4. राधा कृष्ण प्राइवेट आईटीआई, खसरा नंबर 23, सांगोद रोड, ग्राम ढिकोल, तहसील कनवास, जिला कोटा, राजस्थान, राधा कृष्ण आईटीआई संस्थान कोटा, जिला कोटा, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव गजेंद्र सुमन पुत्र बिरधी लाल सुमन आयु करीब 41 वर्ष निवासी 7-सी-19, महावीर नगर तृतीया कोटा, राजस्थान।
5. श्रीजी प्राइवेट आईटीआई, एफ-10, जेल रोड, तहसील धौलपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान, श्री संस्कार वेलफेयर सोसायटी धौलपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये सचिव श्री राहुल मुद्गल पुत्र श्री कैलाश चंद आयु लगभग 38 वर्ष संतर रोड धौलपुर, राजस्थान।
6. शेखावाटी आईटीसी, 45-46 योजना नगर सालासर बस स्टैंड पालवास रोड जिला सीकर राजस्थान, शेखावाटी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीकर, जिला सीकर, राजस्थान द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये श्री रामेश्वरलाल जाखड़ पुत्र भगवानाराम आयु करीब 65 वर्ष निवासी जैतपुरा, पोस्ट ढाहर का बास, जिला सीकर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं. 463/2025

1. विजय आईटीसी, एसबीबीजे बैंक के पास बांदीकुई रोड, सिकंदरा, जिला दौसा, विजय शिक्षण सेवा संस्थान बांदीकुई तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सुमेश विजय पुत्र रमेश चंद विजय आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी बांदीकुई।
2. कृष प्राइवेट आईटीआई, गोपालपुरा रोड कनक विहार कोटपूतली, जिला जयपुर, कृष कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये कृष्ण कुमार पुत्र सरदारा राम उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कोटपूतली, जयपुर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. श्री नृसिंह भगवान प्राइवेट आईटीआई, प्रीतिमपुरी रोड, थल तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, उत्कर्ष सेवा समिति, हिंडौन जिला करौली द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव कुम्हेर सिंह पुत्र रामप्रताप धाकड़ आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी, मंडावरा रोड, हिंडौन सिटी, जिला करौली ।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.544/2025

1. स्वास्तिक प्राइवेट आईटीआई, एच-39, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, जिला दौसा, श्री सोमनाथ एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी तहसील दौसा, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये महेश ठाकुरिया पुत्र श्री स्वर्गीय मूलचंद ठाकुरिया, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी जयपुर।

2. नेशनल प्राइवेट आईटीआई, लालसोट रोड, सरकारी अस्पताल के पास, जिला दौसा अनुशिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित जरिये सचिव राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी गुप्तेश्वर रोड, दौसा।

3. आशीष प्राइवेट आईटीआई, खेड़ा कुर्द, जोशी कोठी के पास, जिला, दौसा, यूनिक मानवीय उत्कर्ष शिक्षा समिति, दौसा, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये आशीष सैनी पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी चौधरी धर्मशाला के पीछे, दौसा

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं. 545/2025

राजस्थान चिड़ावा प्राइवेट आईटीआई, ढाणी मावंडिया, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, शिवगंगा मानव एवं समाज सुधारक समिति, 43/27/10, मानसरोवर, जिला जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अनिल कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी मानसरोवर, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशक तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।

3. जय हिंद प्राइवेट आईटीआई, हनुमान नगर, भादर पुरा रोड, फुलेरा, जिला। जयपुर, राधावल्लभ रामनारायण विकास समिति, हिंडौन सिटी, जिला करौली द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये प्रिंसिपल श्री राजेंद्र प्रसाद कुमावत पुत्र श्री मंगल चंद कुमावत आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी रामपुर बरिया गुढ़ा, बरसाल, जयपुर।

4. संस्कार प्राइवेट आईटीआई, पुलिस स्टेशन के पास, टोंक रोड, नगर फोर्ट, जिला टोंक, शिव प्रताप शिक्षा समिति, छान द्वारा संचालित एवं संचालित, जरिये मंत्री हेमराज धाकड़ पुत्र श्री रामचन्द्र धाकड़ आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी छान, टोंक।

5. संस्कार प्राइवेट आईटीआई, गणेश रोड, कीर मोहल्ला देवली, जिला टोंक, संस्कार विद्या मंदिर शिक्षा समिति, देवली, जिला टोंक द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये मंत्री श्री रामेश्वर प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री बद्री लाल धाकड़ आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पीछे, पटेल नगर, देवली, जिला टोंक।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.550/2025

1. यशोदा प्राइवेट आईटीआई, नांगल, बैरसी रोड, तहसील दौसा, जिला दौसा। आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति खान भाकरी रोड, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव बनवारी लाल शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी सोमनाथ नगर दौसा।

2. न्यू यशोदा प्राइवेट आईटीआई, इन्फ्रोंटो एफ एलआईसी कार्यालय, खान भाकरी रोड, कलक्ट्रेट चोराहा, जिला दौसा। आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति खान भाकरी रोड, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव बनवारी लाल शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी सोमनाथ नगर दौसा।

3. यशोदा आईटीसी, नांगल, राजावतां, जिला दौसा। आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति खान भाकरी रोड, जिला दौसा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव बनवारी लाल शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी सोमनाथ नगर दौसा।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.552/2025

श्री राम प्राइवेट आईटीआई, प्लॉट नंबर 02, कमला उद्यान कॉलोनी, बूंदी रोड, कुन्हारी, जिला कोटा, श्री राधेकृष्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, कोटा द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये अध्यक्ष धनकंवर राठौड़ पुत्र श्री रामस्वरूप राठौड़, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी 25, महावीर नगर, विस्तार योजना, कोटा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
3. सिग्मा प्राइवेट आईटीआई, मुंडेरी, जिला झालावाड़, सिग्मा चिल्ड्रन स्कूल सोसायटी, कोटा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये निदेशक गोवर्धनलाल शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मोलक्या खुर्द, कोटा।
4. श्री बाबा कुशला प्राइवेट आईटीआई, सीकर, अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास, खेतड़ी रोड, पी.ओ मौंदा खुर्द, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, श्री बाबा कुशला

एजुकेशन संस्थान, मौंदा खुर्द, जिला सीकर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव श्री अमीलाल पुत्र श्री इंद्राज सिंह आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी मौंदा खुर्द, तहसील नीमकाथाना, राज।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.556/2025

दशमेश प्राईवेट आईटीआई, एनएच-8 रोड के पास, ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जयपुर, के.एस. धालीवाल शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये अधीक्षक अब्दुल मोहसिन मंसूरी पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ मंसूरी आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी नरेना रोड, तहसील दूदू, जिला दूदू।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
3. महला प्राइवेट आईटीआई, खसरा नंबर 1504, खाटू श्याम रोड, रींगस, जिला सीकर, श्री श्याम शिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र रघुनाथ प्रसाद आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम बासड़ी कला, कचोर, दूदवा, दांतारामगढ़, जिला सीकर।
4. शिखर प्राइवेट आईटीआई, आदर्श विद्या निकेतन के पास, प्रताप नगर, रावत भाटा, जिला चित्तौड़गढ़, नंदिनी औधयोगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा संचालित और प्रबंधित, जरिये श्री बृज राठौड़ पुत्र श्री रतन लाल राठौड़ आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

----प्रत्यर्थीगण

डी.बी. विशेष आवेदन रिट सं.562/2025

छत्रपति शिवाजी आईटीसी, रावतभाटा रोड, शिवपुरा, जिला कोटा, राजस्थान, छत्रपति शिवाजी शिक्षा समिति, शिवपुरा, कोटा, जिला कोटा द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव मदन मोहन सिंह पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी शिवपुरा, कोटा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर।
3. विद्यास्थली प्राईवेट आईटीआई, ग्राम-नगला माधोपुर, तह- कठूमर, जिला अलवर, विद्यास्थली शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल मीणा, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी नंगला माधोपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर।
4. भारती प्राइवेट आईटीआई, एच.पी. पेट्रोल पंप के सामने लाडनूं रोड, डीडवाना, जिला नागौर, राजधानी शिक्षा समिति, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव रमेश चंद्र पुत्र श्री हनुमान राम, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी सरदार पटेल कॉलेज के पास, धोद, लोसल, जिला सीकर।
5. सत्यम प्राइवेट आईटीआई, ग्राम सांवा, एनएच-8, उदयपुर रोड, ब्यावर, जिला अजमेर, सांवरिया पब्लिक स्कूल समिति, जिला अजमेर द्वारा संचालित एवं प्रबंधित, जरिये सचिव सत्यपाल गढ़वाल पुत्र श्री गोपाल सिंह गढ़वाल आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी 82, पैराडाइज आनंद, सिरसी रोड, जिला जयपुर।
6. सर्वेश्वर प्राइवेट आईटीआई, के नंबर-1837/1, रानी डूंगरी रोड, रूपनगढ़, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान, आर.आई. एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित और प्रबंधित जरिये अध्यक्ष रामलाल चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल चौधरी आयु लगभग 35 वर्ष निवासी बेगास जिला जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी(यों) के लिए : श्री मंसूर अहमद सिद्दीकी, अधिवक्ता,

श्री नावेद खान, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।

प्रत्यर्थी(यों) के लिए : श्री आई.आर. चौधरी, एएजी,

श्री पवन भारती, अधिवक्ता

श्री प्रवीण खंडेलवाल, एएजी द्वारा सहायता प्राप्त

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् चंद्र शेखर शर्मा

आदेश

06/05/2025

माननीय श्री चंद्रशेखर, जे . के अनुसार

1. विभिन्न ट्रेड्स में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (संक्षेप में, "आईटीआई") द्वारा एक सौ उनतालीस रिट याचिकाएँ दायर की गईं। उन्होंने तकनीकी शिक्षा निदेशालय , राजस्थान के निदेशक (प्रशिक्षण) के हस्ताक्षर से जारी 4 सितंबर 2024 के पत्र को चुनौती देने के लिए रिट न्यायालय की ओर रूख किया, जिसमें आईटीआई में प्रत्येक पाठ्यक्रम इकाई के लिए 50,000 रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने का आग्रह किया गया।

2. रिट याचिकाओं के इस समूह में प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य आधार एस .बी. सिविल रिट याचिका सं16453/2023 और इससे सम्बद्ध मामलों के माध्यम से , इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा एस .बी. सिविल रिट याचिका सं.7378/2020 में दिए गए निर्णय है, जिसका शीर्षक *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई बनाम राजस्थान राज्य व*

अन्य" है और इसके साथ जुड़ी हुई रिट याचिकाएं हैं, जिनमें से एक "*देशराज प्राइवेट आईटीआई*" द्वारा दायर की गई थी।

3. हालांकि, जोधपुर पीठ में अपीलार्थी-प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है। "*गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई*" के फैसले को निर्दिष्ट करते हुए और उसमें की गई टिप्पणी पर बल देते हुए कि; "यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई सार नहीं पाता है कि संस्थान/निजी कॉलेज, जिन्हें 2018 के बाद स्थापित किया जाना था, को अकेले बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है", विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थान बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त का पालन करने के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे ऐसे प्रशिक्षण संस्थान 2018 से पहले या बाद में स्थापित किए गए हों।

4. वर्तमान मामले में पारित दिनांक 9 दिसंबर 2024 के आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए गए विवाद्यक पर अपने विचार प्रदान किए और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

> *"12. वर्तमान रिट याचिका और अन्य संबद्ध मामलों में प्रकटित निर्विवादित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता 2018 से पूर्व विभिन्न समयावधियों में स्थापित निजी आईटीआई कॉलेज है। ये संस्थान राजस्थान राज्य में संचालित है और छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा समस्त ऐसे निजी संस्थानों को प्रति यूनिट*

50,000/- रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं कि यदि कोई संस्थान मध्य सत्र में बंद हो जाता है, तो उस विशिष्ट संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें सरकारी संस्थान सहित किसी अन्य संस्थान में समायोजित किया जाना आवश्यक होता है तथा इस प्रक्रिया में व्यय उपगत होते है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, राज्य सरकार द्वारा 50,000/- रुपये प्रति यूनिट की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश पारित किया गया है। इस न्यायालय की राय में, राज्य सरकार का आशय न्यायसंगत, उचित और पवित्र प्रतीत होता है।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई (पूर्वोक्त) मामले में पारित आदेश केवल इस सीमा तक है कि 2018 के बाद स्थापित निजी संस्थानों को प्रति इकाई 50,000 रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी, न कि 2018 से पहले स्थापित संस्थानों को। गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई (पूर्वोक्त) मामले में समन्वय पीठ द्वारा दिए गए आदेश के परिशीलन मात्र से ही स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अमान्य एवं त्रुटिपूर्ण है। समन्वय पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

""यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस दलील में कोई सार नहीं पाता है कि केवल 2018 के बाद स्थापित होने वाले संस्थानों/निजी कॉलेजों को ही बैंक गारंटी देनी आवश्यक थी।

यह न्यायालय पाता है कि सभी कॉलेज, चाहे वे पहले से चल रहे हों या यदि नए कॉलेज स्थापित किए जाने थे, बैंक गारंटी की आवश्यकता का अनुपालन ऐसे सभी संस्थानों द्वारा किया जाना था।"

उक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो विभेद करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे समन्वयक पीठ द्वारा पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है।

14. दिनांक 02.12.2020 के उक्त आदेश को इस न्यायालय की जयपुर पीठ की माननीय खंडपीठ द्वारा देशराज प्राइवेट आईटीआई एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में दिनांक 18.07.2023 के निर्णय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है।

15. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि दिनांक 04.09.2024 का अद्य शा नोटिस, जिसमें प्रति यूनिट 50,000/- रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया है, इन निजी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से न्यायोचित है।

16. इस न्यायालय का यह मत है कि एक पवित्र उद्देश्य के साथ इस तरह की शर्त का लगाया जाना केवल उन छात्रों के साथ-साथ संस्थानों के विश्वास को बढ़ाएगा, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में वास्तविक रूप से शामिल हैं। ऐसी शर्त फर्जी उद्यमियों के लिए भी निवारक का काम करेगी और वास्तविक उद्यमियों को राजस्थान राज्य में निजी आईटीआई संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

17. जयपुर पीठ में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश में, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 50,000/- रुपये प्रति इकाई की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त केवल उन संस्थानों पर लागू होती है जो 2018 के बाद स्थापित हुए हैं और इसलिए, यहां तक कि 2018 से पहले स्थापित संस्थान भी 50,000/- रुपये प्रति इकाई की बैंक गारंटी जमा करने के लिए बाध्यताधीन हैं, जैसा कि प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा

अधि शा नोटिस दिनांक 04.09.2024 और समय-समय पर जारी अन्य आदेशों के माध्यम से आदेश दिया गया है।

18. उपर्युक्त की गई परिचर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, इन रिट याचिकाओं में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है और ये किसी भी प्रकार के बल से रहित है। अत:, वर्तमान रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

5. इससे व्यथित होकर, प्रशिक्षण संस्थानों ने ये विशेष अपीलें दायर की हैं। अपीलकर्ता-प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम .ए. सिद्दीकी द्वारा उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* मामले में दिए गए निर्णय का गलत अर्थान्वयन किया है, जहाँ तक उक्त निर्णय 2018 से पहले स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित है।

6. औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन देने वाली सरकारी नीतियों के मद्देनजर प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया था, जिसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता थी। इसी पृष्ठभूमि में यह आवश्यकता महसूस की गई कि प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को एक कानून द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षु अधिनियम की उप-धारा 2(एल) के तहत, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (पुनर्वास और रोजगार महानिदेशालय) के एक प्रस्ताव द्वारा व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की परिकल्पना की गई थी ; इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद कर दिया गया। राज्य सरकारों द्वारा व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषदों की स्थापना धारा 2(ओ) के तहत की गई थी। धारा 11 प्रशिक्षु के संबंध में नियोक्ताओं के दायित्वों को निर्धारित करती

है। इसमें प्रावधान है कि नियोक्ता (क) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षु को उसके ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। (ख) यदि नियोक्ता स्वयं ट्रेड में योग्य नहीं है , तो यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षु के प्रशिक्षण का प्रभारी बनाया जाए। (खख) प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले पर्याप्त अनुदेशात्मक कर्मचारी और ट्रेड परीक्षा की सुविधाएँ प्रदान करे , और (ग) शिक्षुता अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। प्रशिक्षु अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, एनसीवीटी की उप-समिति व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों , औद्योगिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थानों को निर्देश जारी करने की शक्तियों का प्रयोग करती है।

7. अपीलार्थी-प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2018 से पहले स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न वर्षों में संबद्धता /मान्यता प्रदान की गई थी और ये विभिन्न ट्रेड्स में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। ये संस्थान प्रशिक्षु नियम, 1992 के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जिन्हें प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था। पूर्व में, राजस्थान राज्य द्वारा एनसीवीटी से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रति इकाई 50,000/- रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी को अनिवार्य शर्त के रूप में अतिरिक्त मानदंड बनाने का प्रयास किया गया था। इस मुद्दे पर 31 जुलाई 2014 को आयोजित एनसीवीटी की उपसमिति की बैठक में चर्चा की गई थी। उक्त बैठक के

कार्यवृत्त को 11 अगस्त 2014 के पत्र द्वारा एनसीवीटी की उप-समिति के सदस्यों को परिचालित कर दिया गया था। एनसीवीटी की उप-समिति के समक्ष कार्यसूची के मद संख्या 3 राज्य सरकार(सरकारों) द्वारा तैयार किए गए अतिरिक्त मानकों के संबंध में था। एनसीवीटी की उप-समिति द्वारा उक्त कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया गया था और एनसीवीटी से संबद्ध ट्रेडों/इकाइयों के लिए एनसीवीटी की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार (सरकारों) को कोई भी अतिरिक्त मानक न बनाने के लिए कहने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान राज्य को निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रति इकाई 50,000/- रुपये जमा करने के चलन को बंद करने की सलाह देने का भी निर्णय लिया गया था।

8. बाद में, प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सभी राज्य निदेशकों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिभूति राशि के संबंध में 25 अप्रैल 2018 को एक पत्राचार जारी किया। 25 अप्रैल 2018 के पत्राचार में अभिलिखित है कि एनसीवीटी की उप-समिति ने 27 मार्च 2018 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकारों को आईटीआई को प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए बाध्य न करने की सलाह देने वाला पहले जारी किया गया पत्राचार वापस लिया जाना चाहिए। जैसा कि 25 अप्रैल 2018 के पत्र-व्यवहार में उपदर्शित किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए पिछले पत्र को वापस लेने का कारण इस तथ्य के आलोक में लिया गया था कि आईटीआई का दैनिक प्रशासन संबंधित राज्य निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। प्रत्युत्तरदाता राजस्थान राज्य द्वारा यह मामला स्थापित किया गया है कि

25 अप्रैल 2018 के उक्त पत्र के अनुसरण में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को बैंक गारंटी के माध्यम से प्रति इकाई 50,000/- रुपये की प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने के लिए 4 सितंबर 2024 को पत्राचार जारी किया गया था।

9. कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग के निदेशक द्वारा 4 सितंबर 2024 को पारित आदेश इस प्रकार है:

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर
W-6, रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर

प.स.*:7(12)/*प्र.*-1/*निजीऔप्रस*/1780* वो.*24/11755*

दिनांक*:-04.09.2024*

प्रधानाचार्य
प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
*(*मान्यता प्राप्त संस्थान संलग्न सूची अनुसार*)*

विषय*:-* बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिभूति बैंक गारण्टी प्राप्त करने के संबंध में विभिन्न रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश एवं

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक सं.*8(1)*श्र.नि./*2024* के पार्ट फाईल *(1)* जयपुर दिनांक *08.08.2024* में राज्य स्तरीय स्थाई समिति के निर्णय के क्रम में मान्यता प्राप्त प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों *(*संलग्न सूची के अनुसार*)* को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार *50000/-* प्रति यूनिट *(*स्वीकृत*)* के हिसाब से बैंक गारण्टी निर्धारित प्रारूप में *05* वर्ष की अवधि हेतु बनवाकर *01* माह की अवधि में निदेशालय में प्रस्तुत करें। नियमानुसार बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं करने पर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही यथा डीएफिलिएशन/प्रवेश की आगामी प्रक्रिया पर रोक इत्यादि की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी। सूचित रहे।

संलग्न*: 11.* संस्थानों की सूची उपरोक्तानुसार

2. बैंक गारण्टी प्रारूप

भवदीय

निदेशक प्रशिक्षण

English Traslation:

Rajasthan Government

Department Of Skills, Employment & Entrepreneurship,

Directorate Of Technical Education, Rajasthan, Jodhpur,

Dated-04.09.2024

To principal, private industrial training institute,

(recognized institute as per attached list)

Subject- submission of bank guarantee.

Sir,

In reference to the above mentioned subject, it is stated that in order to the final order passed by the Hon'ble High Court in different writ petitions regarding obtaining security bank guarantee from private Industrial training institute and the decision of the state level

standing committee dated 08.08.2024 in the state government's letter no.08, (1) sh.ni./2024 part file (1), the recognized private industrial training institutes (as per the attached list) are directed to get the bank guarantee made in the prescribed format for a period of 05 years at the rate of Rs.50,000/- per unit (approved) as per the rules and submit it to the Directorate within a period of 01 month, In case of not submitting the bank guarantee as per the rules, necessary action against the institute such as deaffiliation/ban on further process of admission etc. will be proposed. The entire responsibility of which will be of the institute.

Be informed.

Attached: 1-List of institutions as above.

Attached: 2-Format of Bank Guarantee

Yours truly

Director Training

10. प्रत्युत्तरदाताओं के प्रति-शपथपत्र में, रिट याचिका की पोषणीयता पर कई आपत्तियां उठाई गई। प्रत्युत्तरदाताओं ने एक अभिमत स्थापित किया कि रिट याचिकाओं में तथ्य के गंभीर विवादित प्रश्न अंतग्रस्त थे एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए न्यायालय का रूख करने का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ था। प्रत्युत्तरदाताओं ने यह भी अभिवचन किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे और गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई के मामले में दिए गए निर्णय की गलत निर्वचन करके यह अभिवचन आगे बढ़ाया गया कि शैक्षणिक वर्ष-2018 से पहले स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों को बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्युत्तरदाताओं के अनुसार, प्रशिक्षण संस्थानों को दी गई छूट केवल शैक्षणिक वर्ष-2014 से 2018 तक की सीमा तक थी। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने

वाले प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिभूति जमा की आवश्यकता पर बल देते हुए , प्रत्युत्तरदाताओं ने इस प्रकार अभिवाक् किया :

"....याचिकाकर्ताओं ने निर्णय के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं , याचिकाकर्ता रिट याचिका संख्या 7378/2020 में दिए गए निर्णय का गलत निर्वचन कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 7378/2020 निर्णीत दिनांक 02.12.2020 में अभिनिर्धारित किया है कि निजी आईटीआई संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2018 से बैंक गारंटी का भुगतान करना होगा और यह कहीं भी नहीं माना गया कि सत्र 2018 से पहले स्थापित संस्थान को बैंक गारंटी के भुगतान से छूट दी गई है। सत्र। केवल सत्र 2014 से 2018 तक बैंक गारण्टी के भुगतान के संबंध में छूट दी गई है, इसलिए जिन निजी आईटीआई संस्थानों का प्रशिक्षण संचालन निरंतर जारी है, उन्हें वर्ष 2018 से आगे की अवधि के लिए बैंक गारण्टी का भुगतान करना होगा ; अतः याचिकाकर्ताओं के आचरण के कारण यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. ससम्मान, यह भी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि संस्थान से बैंक गारण्टी प्राप्त करना सरकार का नीतिगत निर्णय है और माननीय न्यायालय सामान्यतः राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से बचते हैं तथा यह विवाद अब अनिर्णित विषय नहीं रहा है, क्योंकि माननीय न्यायालय पहले ही बैंक गारण्टी प्राप्त करने के राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय की पुष्टि कर चुका है। अतः वर्तमान रिट याचिका गुणावगुण से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

5. ससम्मान, यह भी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि निजी आईटीआई संस्थानों से महाविद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए बैंक गारण्टी मांगी गई थी। बैंक गारण्टी प्राप्त करने का मूल उद्देश्य यह है कि यदि किसी अनियमितता के कारण सत्र के बीच में संस्थान को बंद करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है , तो विद्यार्थियों के शेष प्रशिक्षण का खर्च बैंक गारण्टी से उत्पन्न निधि में से राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा और बैंक गारण्टी 27.03.2018 को आयोजित एनसीवीटी उप-समिति की बैठक के सचेतन निर्णय के बाद तथा इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी 25.04.2018 के पत्र के आधार पर मांगी गई है, इसलिए निजी आईटीआई से बैंक गारण्टी की मांग कानून के अनुसार है और वर्तमान मामले में किसी हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है। अतः, वर्तमान रिट याचिका में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

6. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका के प्रारूप के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के विचार से कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया और दबाया है और उत्तर देने वाले प्रत्यर्थियों के सम्मानजनक प्रस्तुतिकरण में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में इसका समाधान नहीं किया जा सकता है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित कानून के सुस्थापित प्रतिपादनाओं के दृष्टिगत भी यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है।

7. यह कि वर्तमान रिट याचिका तथ्यों के विवादित प्रश्न के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। वर्तमान रिट याचिका में कई विवादित तथ्य शामिल हैं जिन पर वर्तमान रिट याचिका में न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से तथ्य से जुड़े इस प्रकार के विवादित प्रश्नों का न्यायनिर्णयन केवल सिविल न्यायालयों द्वारा ही किया जा सकता है, इस माननीय उच्च न्यायालय के मंच के लिए यह याचिकाकर्ताओं हेतु उपयुक्त नहीं है।

8. यह कि वर्तमान रिट याचिका विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, जिसका कारण यह है कि परमादेश के लिए पूर्व सूचना या प्रज्ञापना दी जानी आवश्यक है, परन्तु वर्तमान मामले में अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जो इस तथ्य को स्थापित करता हो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान परमादेश याचिका दायर करने से पहले इस पूर्व-अपेक्षित शर्त का अनुपालन किया गया है...

11. अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता है कि दक्षतापूर्ण एवं सुचारू प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य में संचालित निजी आई.टी.टी. से दिनांक 03.01.2006 के परिपत्र द्वारा 50,000/- रुपये की बैंक गारंटी मांगने का निर्णय लिया गया था। निजी आई.टी.आई. से बैंक गारंटी लेने का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक रूप से संस्थान में प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक पूर्ण कराना निजी आई.टी.आई. की जिम्मेदारी है। तथापि, किसी भी स्थिति में यदि संस्थान सत्र के मध्य में बंद हो जाता है तो सत्र पूर्ण कराना उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी का

कर्तव्य है तथा प्रशिक्षण के शेष व्यय बैंक गारंटी के रूप में जमा धनराशि से पूरे किए जाएंगे। अतः नई आई.टी.आई. से तथा पुरानी आई.टी.आई. में नई इकाइयां खोलने के लिए प्रति इकाई 50,000/- रुपये की बैंक गारंटी मांगी गई थी। बैंक गारंटी जमा कराने के पश्चात निजी संस्थान जिम्मेदारी के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं। यद्यपि डीजीटी, नई दिल्ली ने दिनांक 11.08.2014 के आदेश द्वारा बैंक गारंटी न मांगने का आदेश दिया था, तथापि डीजीटी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.04.2018 के आदेश द्वारा अपने पूर्व दिनांक 11.08.2014 के आदेश को वापस ले लिया और निजी संस्थानों से बैंक गारंटी लेने की अनुमति दे दी। आपके त्वरित संदर्भ के लिए दिनांक 03.01.2006 के परिपत्र की एक प्रति संलग्न है और इसे अनुलग्नक R/3 के रूप में अंकित किया गया है।

11. नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करते हुए और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अतिरिक्त मानदंड बनाने के राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए , उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। इन रिट याचिकाओं का निस्तारण *"गुरु कृपा प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य"* (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7378/2020) और संबंधित मामलों में दिए गए एक साझे निर्णय द्वारा किया गया। रिट कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि शैक्षणिक वर्ष 2018 से स्थापित या संचालित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रतिभूति राशि जमा करना आवश्यक है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ सभी याचिकाओं का निपटारा किया:

"...तदनुसार, इन सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:-

(i) कि जो महाविद्यालय सत्र 2014 से 2017 की अवधि के अंतर्गत आते थे, उन्हें बैंक गारण्टी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

(ii) कि जो निजी आईटीआई महाविद्यालय वर्ष 2018 या उसके बाद से स्थापित किए गए थे या पहले से संचालित हो रहे थे, उन्हें भारत सरकार द्वारा वांछित और राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित रूप में बैंक गारण्टी देना आवश्यक है।

(iii) वर्ष 2018 से पूर्व स्थापित या संचालित याचिकाकर्ता-महाविद्यालयों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश उनके मामलों को शासित करेंगे तथा बैंक गारण्टी का भुगतान करने के लिए कोई आग्रह नहीं किया जाएगा, और वे सभी महाविद्यालय जिन्होंने सत्र 2018 या उसके बाद के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा वांछित बैंक गारण्टी जमा करनी होगी। ..."

12. "*गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई*" मामले में दिए गए निर्णय को उन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा असफलतापूर्वक चुनौती दी गई, जो शैक्षणिक वर्ष 2018 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे थे। "*देशराज प्राइवेट आईटीआई एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य*" (डीबी विशेष अपील रिट संख्या 147/2021) में, जयपुर पीठ स्थित इस न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"....6. इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों के प्रकाश में, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.04.2018 के पत्र जारी किए जाने के संबंध में, जिसे दिनांक 02.12.2020 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा उचित रूप से विचार में लिया गया था, हम यह अभिनिर्धारित करना उचित समझते हैं कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018 से बैंक निष्पादन गारण्टी प्रस्तुत करने की मांग करने के लिए अपनी शक्तियों के साथ-साथ अधिकार क्षेत्र के भीतर विवेक का प्रयोग किया है।

7. तदनुसार, उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, किसी नियम या प्रावधान के तहत निष्पादन बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता अधिरोपित करने वाला आक्षेपित आदेश जारी करने के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की कमी को लेकर अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया तर्क मान्य नहीं है।

8. अतः, इस न्यायालय की राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक सुविचारित सकारण आदेश पारित किया है और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के बाद एक

तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसलिए, दिनांक 02.12.2020 के आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है....."

13. प्रासंगिक रूप से, *"देशराज प्राइवेट आईटीआई"* और अन्य प्रशिक्षण संस्थान, जिन्होंने जयपुर पीठ में इस न्यायालय की खंड पीठ की ओर रूख किया था , शैक्षणिक वर्ष - 2018 से स्थापित या मान्यता प्राप्त थे। अतः, शैक्षणिक वर्ष-2018 से पहले स्थापित या संबद्धता/ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं, यह *"देशराज प्राइवेट आईटीआई"* और उससे जुड़े मामलों में कोई मुद्दा नहीं था। यह भी अभिलिखित किए जाने का विषय है कि *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* और इससे संबद्ध मामलों में निर्देश संख्या (i) को राज्य सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* और संबंधित मामलों में रिट न्यायालय द्वारा कुछ टिप्पणियों के बावजूद, रिट न्यायालय का निर्णय है कि "सत्र 2014-2017 की अवधि के तहत आने वाले महाविद्यालयों को बैंक गारंटी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था"। गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई के निर्णय का समर्थन करने का एक अन्य कारण भी है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि 1-2 वर्ष के बीच होती है और शैक्षणिक वर्ष 2017 में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में भर्ती हुए प्रशिक्षु 2019 में पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। जबकि, *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* के निर्णय में निर्देश संख्या (iii) के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2018 से पहले स्थापित या चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों को प्रतिभूति जमा देने की आवश्यकता नहीं है। *"कनाई लाल सूर बनाम परमनिधि साधुखान"* (1957) एससीसी

ऑनलाइन एससी 8 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब मुख्य शब्द दो प्रकार के अर्थान्वयन निकालने में सक्षम हों, जिनमें से एक अर्थ कानूनी नीति या अधिसूचना को निष्फल या कमजोर करने की संभावना रखता है, जबकि दूसरा अर्थ उस नीति को प्राप्त करने में सहायता करता है, तो न्यायालय को पश्चात्वर्ती अर्थान्वयन को अपनाना चाहिए। *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* में निर्देश संख्या (i) और (iii) स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। अतः, ऐसे निर्विवादित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने यह राय निर्मित की है कि वर्ष 2018 से पूर्व स्थापित/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, 4 सितंबर 2018 के विवादित पत्राचार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

14. श्री मंसूर अहमद सिद्दीकी, अपीलार्थी-प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* के मामले में दिया गया निर्णय, जो अंतिम हो चुका है, रिट न्यायालय पर बाध्यकारी था और उक्त मामले में निर्देश संख्या (i) और (iii) जो शैक्षणिक वर्ष-2018 से पहले स्थापित/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उन्हें अपीलार्थी-प्रशिक्षण संस्थानों को समान लाभ देने के लिए लागू किया जाना चाहिए था।

15. वे व्यक्ति जो न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं, उनकी यह प्राकृतिक और उचित अपेक्षा होगी कि समान तथ्यों पर दिए गए न्यायालय के पिछले निर्णयों का पालन किया जाए। न्यायालय के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति एक ऐसा मुद्दा है जो न्यायिक अनुशासन और औचित्य से भी संबंधित है और इसके

लिए आवश्यक है कि एक समन्वय पीठ के निर्णय का पालन समान शक्ति वाले अन्य न्यायालयों द्वारा किया जाए और इसे कमतर न समझा जाए। यह उपदर्शित करते हुए कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में बार -बार इस बात को दोहराया गया है कि न्यायिक अनुशासन न्यायाधीशों द्वारा पालन किया जाने वाला एक मूल्यवान और उल्लंघन न करने योग्य नियम है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने *"मैरी पुष्पम बनाम टिल्वी कुरुसुमैरी एवं अन्य"* 2024 आईएनएससी 8ए के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि समान शक्ति वाली एक पीठ को उसी उच्च न्यायालय की समन्वयक पीठ के निर्णय का सम्मान करना चाहिए तथा वह निर्णय तब तक बाध्यकारी प्रभाव रखेगा , जब तक कि समान गणपूर्ति वाली पश्चात्कथित पीठ कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए कानून के किसी प्रश्न को वृहद पीठ के पास संदर्भित न कर दे। *"कृष्ण कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ"* (1990) 4 एससीसी 207 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और भविष्य के सभी मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ तथ्य सारतः समान हों। हम *"हरि सिंह बनाम हरियाणा राज्य"* (1993) 3 एससीसी 114 को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक न्यायिक प्रणाली में समन्वित अधिकारिता वाले न्यायालयों को समान तथ्यों या विधि के किसी प्रश्न पर एकसमान राय रखनी चाहिए। हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश *"गुरु कृपा प्राइवेट आईटीआई"* के निर्णय में की गई किसी टिप्पणी से प्रभावित हो गए और उन्होंने उसमें निर्देश संख्या (iii) के तहत दर्ज स्पष्ट निष्कर्ष को नजरअंदाज कर दिया।

16. इसके मद्देनजर, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16408/ 2024 और उससे संबद्ध मामलों में पारित आदेश दिनांक 9 दिसंबर 2024 को वर्तमान अपीलार्थियों के संबंध में अपास्त किया जाता है। तदनुसार , इस पीठ की विशेष अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

(चंद्र शेखर शर्मा), जे **(श्री चंद्रशेखर), जे**

10 एवं 236s-301s (263s को छोड़कर) दिव्या टाक/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ/नहीं

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है **,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी